



**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.**

(A Government of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001  
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: [www.dfccil.org](http://www.dfccil.org)

**No. HQ/PIO/RTI/49/14**

**Date: 25.03.2014**

**Sh. Subhash Chand Swami,**  
S/o Sh. Shaitan Das Swami,  
Village- Madhon Ka Baas,  
Post- Jorawar Nagar, Vaya-Kawat,  
Dist.-Sikar (Rajasthan)-332708.

**Sub:** Information under RTI Act - 2005  
**Ref:** Your application dt. Nil, received on 19.02.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

1. आपकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 175,176 का मुआवजा सिंचित भूमि से एवं ख. नं. 171 का असिंचित से भुगतान किया गया है।
2. अधिसूचना सं. अन्तर्गत धारा - 20(ए) दिनांक 06.11.08 के समय मुताबिक जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार एवं डी.एल.सी. दर नियमानुसार ली गई है।
3. मुआवजा राशी सामान्यतः जमाबंदी के अनुसार भुगतान किया गया है।
4. जमीन अधिग्रहण में मुआवजा राशि खातेदारों को दिया गया है।
5. जमीन अधिग्रहण में प्रत्येक किसान को सहायता राशि 20000/- रु. का भुगतान किया गया है एवं 1500 वर्ग मीटर से अधिक अवाप्त हुई भूमि के खातेदार को 15/- रु. वर्गमीटर से अतिरिक्त भुगतान किया गया है।
6. भूमि अधिग्रहण में मुआवजा राशी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
7. भूमि अधिग्रहण में प्रभावित किसानों को नियमानुसार भुगतान कर दिया है, बकाया भुगतान भी नियमानुसार ही देय होगा।
8. भूमि अधिग्रहण की नामोवाली सूचना जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में जमा करवाये जायगे।

  
(Rajiv Bhatnagar)  
DGM/ RTI

Copy to: CPM/Jaipur

**DESPATCH**  
28/3